प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.07.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार।

दिनांक 03/07/2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा बलात्कार की घटना मे वांछित अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र स्व0 सुभाष चन्द निवासी पूजा कालोनी मुसाहिद प्रोपर्टी डीलर के पास थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष की गिरफ्तारी के उपरान्त अचानक तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल हेतु ले जाते समय पुलिस कर्मचारीगण की मोटर साइकिल फिसलने पर मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त अरूण कुमार उपरोक्त द्वारा है0का0 2828 आर्यन चौधरी की पिस्टल छीनकर भागने के उपरान्त सूचना पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम उ0नि0 श्री गुलशन कुमार व उ0नि0 श्री स्वर्ण सिंह द्वारा अभियुक्त को अपनी तरफ आता देख रूकने का इशारा किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करना, जिसमे पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ व सिखलाये तरीके से जवाबी कार्यवाही मे फायर करना, जिसमे अभियुक्त अरूण कुमार उपरोक्त के दाहिने पैर मे घुटने से नीचे गोली लग जाने से घायल हो जाना तथा छीनी गयी सरकारी पिस्टल 9 MM मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद हो जाने के उपरान्त घायल अभियुक्त को वास्ते उपचार अस्पताल भेजा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अरूण कुमार पुत्र स्व0 सुभाष चन्द निवासी पूजा कालोनी मुसाहित प्रोपर्टी डीलर के पास थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण

01 पिस्टल 9 MM व 04 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा हत्या में वाँछित 50,000 रू0 का पुरस्कार घोषित ईनामी अपराधी गिरफ्तार

दिनाँक-2/07/2024 को क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी बॉर्डर में विक्रम मावी चर्चित जघन्य हत्या के अभियोग में वाँछित / पुरस्कार घोषित अपराधी सोनू बघेल को जी0डी0ए0 ग्राउण्ड, टीला पाईप लाईन रोड थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। अभियुक्त की गिफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध / मुख्यालय) गाजियाबाद के द्वारा रू0 50,000/- का नगद पुरस्कार घोषित किया गया था।

अवगत कराना है कि दिनाँक-11/05/24 को पवन भाटी ने अपने परिवार एंव रिश्तेदारों के साथ मिलकर वादी मुकदमा सागर मावी व उनके पिता विक्रम मावी को पाईप लाईन रोड थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र मे चारो तरफ से घेरकर धारदार

हथियारों एंव असलहों से हमला कर सागर मावी के सिर में गम्भीर चोट मार कर घायल कर दिया था तथा उनके पिता विक्रम मावी की सनसनीखेज हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग में पुलिस द्वारा अब तक कुल 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल व 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। वाँछित अभियुक्त सोनू बघेल की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध / मुख्यालय) गाजियाबाद द्वारा रू0 50,000/- का पुरूस्कार घोषित किया गया था।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त सोनू ने बताया कि वह 12वीं पास है मूल रूप से ग्राम बीदुपुरा थाना बडपुरा जनपद-इटावा रहने वाला है पहले वह टैक्सी ड्राईवर का काम करता था। वर्ष-2023 मे हुए नगर पालिका लोनी (गाजियाबाद) के चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से चुनाव लडा था और जीत गया था वर्तमान में अमित विहार वार्ड न0-19 लोनी से सभासद है। घटना का मुख्य अभियुक्त पवन भाटी इसी वार्ड क्षेत्र का रहने वाला है इसी लिए सोनू की दोस्ती पवन भाटी से थी दोस्ती के चलते ही पवन भाटी के कहने पर अभियुक्त सोनू बघेल ने पवन भाटी व अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर विक्रम मावी की हत्या की सनसनीखेज घटना को अन्जाम दिया था। घटना को अन्जाम देने के बाद अभियुक्त सोनू बघेल लोनी से भागकर अपने सिर, दाढी व मूँछ मुँडवाकर पहचान छिपाकर इटावा व अन्य जगहों पर स्थान बदल-बदल कर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सोनू बघेल पुत्र कैलाश सिंह निवासी बी-218 महामाया कुँज सेवा धाम थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम बीधुपुरा थाना बडपुरा जनपद-इटावा उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त सोनू के विरूद्ध गाजियाबाद में 01 अभियोग पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- अभियुक्त पूर्व से मु0अ0स0-288/24 धारा-147/148/149/341/ 324/307/302/120बी भादवि थाना लोनी बॉर्डर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का वाँछित एंव रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति के जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या के मामले में महिला सहित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.07.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी गुलजार पुत्र यूसुफ नि0 सुल्तानपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा लिखित शिकायत दी गई कि उसके भाई सलीम उम्र 25 वर्ष ने दिनांक 01.07.2024 को कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है तथा वादी मुकदमा द्वारा एक वीडियो भी उपलब्ध करायी गयी। वीडियो को मृतक सलीम द्वारा जहरीला पदार्थ खाने से पूर्व रिकार्ड किया गया है जिसमें सलीम ने बताया है कि एक महिला जिससे सलीम की करीब 01 वर्ष से जान पहचान थी तथा सम्बंध थे। उस महिला तथा अन्य दो व्यक्ति असलम पुत्र ओसाफ, लियाकत पुत्र आजम अली निवासीगण ईदगाह रोड़ थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा सलीम को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी तथा इसके साथ ही महिला के पास कुछ फोटो व वीडियो को लेकर भी महिला के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था।

इस घटना के पीछे अन्य तथ्यों के बारे में भी गहनता से जानकारी की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक सलीम व महिला के कुछ समय पूर्व से आपस में जान पहचान थी तथा सम्बंध थे तथा दिनांक 29.06.2024 को इस महिला द्वारा थाना मुरादनगर पर तहरीर दी गई कि महिला के पति अंसार द्वारा जो कि महिला की 18 वर्षीय पुत्री का सौतेला पिता है। उसके द्वारा उसकी 18 वर्ष की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया है, इस पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पीड़िता के सौतेले पिता अंसार को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। पीड़िता ने जो पुलिस के समक्ष तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिया है उसमें भी पीड़िता ने अपने सौतेले पिता द्वारा गलत काम करना बताया है। महिला व लियाकत तथा असलम द्वारा मृतक सलीम को इसी मुकदमें में झूठा फंसाने की धमकी दी जा रही थी तथा महिला व मृतक सलीम की कुछ फोटो व वीडियो भी इनके मोबाइल फोन में थी जिसको लेकर महिला द्वारा मृतक सलीम को ब्लैकमेल किया जा रहा था।

इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वादी मुकदमा गुलजार के शिकायती प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा महिला उम्र 35 वर्ष व लियाकत अली पुत्र आजम अली नि0 ए0वन0 कालोनी जलालपुर रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>

1.लियाकत अली उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र आजम अली नि0 ए0वन0 कालोनी जलालपुर रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद

2.महिला अभियुक्ता उम्र 35 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर धारा-351(3)/108 बी.एन.एस का 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

थाना मुरादनगर पुलिस टीम